सत्यपाल बनाम राजस्थान सरकार
अपील संख्या 08/2019

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 08/2019

सत्यपाल पुत्र हुकमसिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर।

........अपीलान्टान

बनाम

तहसीलदार बयाना तहसील बयाना

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 13.06.2020 तहसीलदार बयाना। नामान्तरकण संख्या 109 बाके ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना।

उपस्थित :- 1. श्री नारायण सिह, अभिभाषक अपीलान्टान
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 12.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13.06.2000 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 109 ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 109 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। बकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नामान्तरकरण 109 दिनांक 13.06.2000 मृतक हुकमसिंह पुत्र बृन्दावन की विरासत का खोला गया। मृतक हुकमसिंह के दो पुत्र सत्यपाल और सुमरन है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 109 में सत्यपाल के स्थान पर भूल से सन्तो दर्ज हो गया है जबकि छोटे भाई सुमरन का सही नाम अंकित है। विवादित नामान्तरकरण कैम्प फरसों में दर्ज किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जब हुई जब अपीलान्ट पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवावे बाबत जमाबन्दी की नकल लेने गया तब हुई। अपीलान्ट ने दिनांक 03.01.2019 को तहसील बयाना से नकल प्राप्त की। अपीलान्ट को जानकारी / नकल प्राप्ति दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ पेश किया गया है। सत्यपाल के गलत नाम को संशोधित करने की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत खेड़ली गडासिया पंचायत समिति बयाना का प्रमाण पत्र, 8 वीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स, राशनकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जा रही है। नामान्तकरण संख्या 109 में सन्तो गलत नाम के स्थान पर सत्यपाल दर्ज करवावे। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2000 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा मृतक हुकमसिंह के विरासत नामान्तरकरण संख्या 109 मे सत्यपाल के स्थान पर सन्तो दर्ज हो गया है जो जांच का बिन्दु है। अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार बयाना को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 109 दिनाक 03.08.2017 वाके ग्राम खेड़ली गडासिया तहसील बयाना के अवलोकन से स्पष्ट है कि हुकमसिंह पुत्र बृन्दावन कौम जाट हि0 1 / 16 सा0 देह खातेदार की मृत्यु उपरान्त उसके

बाधिक वारिसान, सन्तो, सुगरन, रीमा, एवं मनको वेबा के नाम कॉलम संख्या 9 में इन्द्राज किये गये गये है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण दिनांक 13.06.2000 को कैम्प फरसों में दर्ज कर निर्णय किया गया है। ग्राम पंचायत खेडली गडासिया पंचायत समिति बयाना का प्रमाण पत्र, 8 वीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स, राशनकार्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्ट के पिता नाम हुकमसिंह निवासी खेडली गडासिया होना स्पष्ट है साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत खेडली गडासिया द्वारा अपने प्रमाण पत्र दिनांक 01.02.2021 में सन्तो एवं सत्यपाल एक ही व्यक्ति होना बताया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2000 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरकरण में इन्द्राज सन्तो के नाम के बारे में पुनः जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)